महत्वपूर्ण एवं खास

पंचायत सचिव दयाराम यादव निलंबित

रायगढ़। सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल ने पंचायत सचिव दयाराम यादव को 15 वें वित्त की राशि का ऑनलाईन भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ज्ञात हो कि जनपद पंचायत लैलूंगा ग्राम पंचायत टटकेला के ग्राम पंचायत सचिव दयाराम यादव को बार-बार मौखिक तथा लिखित निर्देश के बावजूद भी 15 वें वित्त की राशि का ऑनलाईन भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सप्रमाण प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। पंचायत सचिव यादव द्वारा पत्र प्राप्त करने के बावजूद भी समयावधि में समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश का पालन भी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। उनका यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है। जिसके कारण सीईओ जिला पंचायत डॉ.मित्तल द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत लैलूंगा निर्धारित किया गया है।

कोविड के मद्देनजर केलो बांध के नीचे पर्यावरणीय क्षेत्र/पार्क अस्थायी रूप से रहेंगे बंद

रायगढ़। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केलो बांध के नीचे स्थित दोनों पर्यावरणीय क्षेत्र/पार्क को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक बंद किये जाने हेतु सूचना जारी किया गया है। उक्त जानकारी कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना संभाग रायगढ़ ने दी है।

ओमिक्रान के संक्रमण के लिए कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किए आदेश

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण हेतु आदेश जारी किया है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों में कार्यस्थलों में एवं परिवहन के दौरान फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 06 फीट (02 गज) की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा जो कि स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जावे। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों एवं औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रोटेशन में कार्य करने को बढ़ावा दिया जावे। सभी एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स एवं सामान्य जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हेण्ड वॉश अथवा सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। संपूर्ण कार्यस्थल सामान्य सुविधाएं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी पॉइंट्स जैसे-दरवाजे के हेंडल आदि को बार-बार सेनिटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। कार्यस्थलों के प्रभारी सभी व्यक्तियों एवं श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कोविड को लेकर बरतें सतर्कता, बढ़ायें निगरानी, ट्रेसिंग व टेस्टिंग पर करें फोकस : कलेक्टर सिंह

» कलेक्टर भीम सिंह ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में सभी एसडीएम को दिए निर्देश

रायगढ़। जिले में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्टर भीम सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासनिक टीम को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश दिए है। उन्होंने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कोविड पर चर्चा करते हुए जिले के सभी एसडीएम से कहा कि कोविड के नियंत्रण के लिए तमाम एहतियात बरतते हुए निगरानी बढ़ायी जाए। पॉजिटिव आ रहे लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग कर सेम्पलिंग व टेस्टिंग की जाए। पॉजिटिव मरीज वाले घरों व स्थानों को कंटेनमेंट जोन बनाकर अनिवार्य रूप से आईसोलेशन प्रोटोकाल का पालन करवायें। सभी एसडीएम होम आईसोलेशन वाले मरीजों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए औचक निरीक्षण करें। विदेशों से आ रहे लोगों की भी अनिवार्य रूप से कोविड जांच हो। कलेक्टर सिंह ने कहा कि कोरोना केसेस को लेकर अभी पूरे प्रशासनिक अमले को सजगता से काम करना है जिससे जिले में कोविड केसेस को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने उद्योगों में भी सेम्पलिंग टेस्टिंग कराने पर जोर दिया। साथ ही मास्क जांच अभियान भी नियमित रूप से चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने इस दौरान मेडिकल कालेज भवन के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की और काम जल्द पूरा करने के स्पष्ट निर्देश कार्यपालन अभियंता पीडब्लूडी को दिए। कलेक्टर सिंह ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन के संबंध में भी अपनी तैयारी रखने के निर्देश स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। जिससे कि शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित हो।

कलेक्टर सिंह ने जिले में गोधन न्याय योजना संचालन की समीक्षा समय-सीमा की बैठक में की। उन्होंने आश्रित ग्रामों के पशुपालकों को भी उससे संबंधित पंचायत वाले गौठानों में गोबर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके लिए उनका संबंधित गौठानों में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया। जिले में सक्रिय व स्वावलंबी गौठानों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। वन विभाग द्वारा पूर्ण किए जा चुके गौठानों में भी गोधन न्याय योजना का संचालन प्रारंभ करने के लिए सभी सीईओ जनपदों को निर्देशित किया।

कलेक्टर सिंह ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना व हाट-बाजार क्लीनिक संचालन की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक कैम्प में अधिक से अधिक मरीजों की जांच व इलाज सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसके लिए अनिवार्य रूप से कैम्प की अग्रिम सूचना संबंधित क्षेत्र के निवासियों को देने के लिए निर्देशित किया।

उन्होंने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के संचालन की भी समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने आरटीओ तथा पुलिस अधिकारियों को ओव्हर लोडिंग वाहनों पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, डीएफओ धरमजयगढ़ मणिवासगन एस, डीएफओ रायगढ़ प्रणय मिश्र, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

गौठानों में बढ़वायें पैरादान– कलेक्टर सिंह ने गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट का भंडारण सहकारी समितियों में करवाने के लिए कहा। उन्होंने गौठानों में पैरादान की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को सभी गौठानों में लक्ष्य अनुसार पैरा का भंडारण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी रबी फसल के मद्देनजर गौठानों में पर्याप्त मात्रा में पैरा का भंडारण करवायें। बैठक में कलेक्टर सिंह ने लीड बैंक मैनेजर से केसीसी निर्माण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने केसीसी निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। पशुपालन, मत्स्य पालन व उद्यानिकी से संबंधित हितग्राहियों के भी प्राथमिकता से केसीसी निर्माण कराने की बात अधिकारियों से कही।

घरघोड़ा व तमनार में भेजें मोबाइल एटीएम - कलेक्टर सिंह ने बैठक में धान खरीदी पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने समितियों से धान का उठाव तेजी से कराने के निर्देश दिए। साथ ही समितियों में बारदानें की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों, जिनकी ड्यूटी खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण हेतु लगायी गयी है, उन्हें नियमित रूप से केन्द्रों में जाकर खरीदी का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कही भी किसी प्रकार की असुविधा व अव्यवस्था की स्थिति हो तो तत्काल सूचित करें।

निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर नहीं जायेंगे

» कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 24 दिसम्बर 2021 को जारी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के जिन अधिकारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगायी गयी है, वह सभी अधिकारी-कर्मचारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग भी नहीं करेंगे। निर्वाचन कार्य में संलग्न किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम/ उप निर्वाचन 2021-22 हेतु दिनांक 24 दिसंबर 2021 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी हैं। जिससे संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों/ ग्रामों में लोक-परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान, निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबन्धात्मक उपाय किया जाना आवश्यक हो गया हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मै भीम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी क्षेत्रों हेतु जहाँ त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन होना है, प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।

जारी आदेश के तहत रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सडक, रास्ता सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। निर्वाचन कार्य आसन्न एवं अति आवश्यक प्रकृति का कार्य होने से परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में सर्व संबंधित को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई किया जाना सम्यक रूप से सम्भव नहीं है, अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों/ ग्रामों में, जहां त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन होना है, प्रभावशील होगा।

पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के संबंध में निर्देश जारी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 हेतु 24 दिसम्बर 2021 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 के दौरान आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाये जाने तथा अन्य प्रकार के शासकीय/अशासकीय संपत्ति को विरूपित करने कार्यवाही संभावित है, जिस पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानुसार कोई भी व्यक्ति, जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपया तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा जारी निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय व अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग (नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक)एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर, जिला स्थानीय निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ को अवगत कराया जाये। टीम गठित करने का कार्य संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा किया जाये। गठित टीम संबंधित क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करायी जाएगी।

यदि किसी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद, गठित टीम निजी संपत्ति को विरूप्ति होने से बचाने की कार्यवाही करेगी एवं संबंधित थाना प्रभारी द्वारा प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)अपने-अपने क्षेत्र में संपत्ति विरूपण की रोकथाम एवं प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही हेतु दल गठित करेंगे। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं संपत्ति की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करायेगी।

डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से भर्ती मरीजों को मिलेंगे इलाज सुविधा

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 अंतर्गत निर्धारित वंचित श्रेणी के परिवार अन्त्योदय व प्राथमिकता के क्रियाशील राशनकार्डधारी परिवारों को योजना अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में योजना के निर्धारित पैकेजों के माध्यम से भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क इलाज प्रदाय किया जायेगा। उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त राज्य में क्रियाशील शेष अन्य सभी प्रकार के राशनकार्डधारी परिवार को योजनान्तर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में निर्धारित चिकित्सा के माध्यम से प्रति परिवार 50 हजार रुपये का निःशुल्क इलाज किया जायेगा। प्रत्येक पात्र हितग्राही को राशन कार्ड के आधार पर टीएपी सहायक के माध्यम सें पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। पंजीकृतधारी हितग्राही को एक यूनिक पंजीयन क्रमांक युक्त एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदाय किया जायेगा। इसमें समस्त हितग्राही को स्वयं का राशनकार्ड एवं आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। यदि किसी मरीज को अपना इलाज कराना हो तो वे स्वयं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वाास्थ्य केन्द्र में ओ.पी.डी.के वेबसाईट में रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।

निर्वाचन क्षेत्रों में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 24 दिसम्बर 2021 को जारी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन के दौरान सभी अभ्यर्थियों तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया वाहनों, स्कूटर सायकल रिक्शा, आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रख कर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों, गलियों, उप-गलियों पर चलते हैं और बस्तियों, मोहल्लें, कालोनियों से बहुत ऊची आवाज पर लाउडस्पीकर से प्रसारण करते हुए जाते है। लाउडस्पीकर के ऊंची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग गंभीर रूप से अशान्त हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोर-गुल से वृद्ध, दुर्बल बीमार व्यक्ति को, चाहे वह किसी चिकित्सालय, संस्था घर में हो, बहुत परेशानी होती है।

निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है। लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि यंत्र के अविवेकपूर्ण एवं ऊंचे स्वरों में अवैधानिक प्रयोग, जिससे जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत कलेक्टर भीम सिंह ने छ.ग.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 195 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के उन क्षेत्रों में जो संबंधित जनपद/ ग्राम पंचायत/ पंचायत वार्ड की सीमा के अंतर्गत आते हैं, रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण से निषिद्ध किया है।

गोधन न्याय योजना से जिवरी की महिला समूह को मिली स्वावलंबन की राह

रायगढ़। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना जिसका उद्धेश्य पशुपालकों को लाभ पहुंचाने और वर्मी खाद के माध्यम से जैविक कृषि के लिए किसानों को प्रेरित करने के साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देना था। यह उद्धेश्य जिवरी गोठान के महिला समूह के माध्यम से पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से पशुपालक गोबर बेच के धनार्जन कर रहे है, वहीं महिला समूह को वर्मी खाद निर्माण से रोजगार का अवसर भी मिला है। वर्मी खाद के माध्यम से आज लोगों के थाली में जैविक तरीके से उगाया भोजन पहुंच रहा है।

जिले के तमनार ब्लाक के सराईपाली के अन्तर्गत आने वाले जिवरी गोठान महिला समूहों ने अपने प्रयासों से सफलता की मिसाल पेश की है। कृषि विस्तार अधिकारी बताती है कि यह गोठान तैयार होने के पश्चात प्रथम चरण में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस कार्य के लिए महिलाओं को लगातार उत्साहवर्धन भी किया गया। गोठान जंगल में होने के कारण सूखे कचरे की अधिकता थी, जिससे पश्चात अतिरिक्त सूखे कचरे की व्यवस्था किया गया। टांका भराई पश्चात प्रति टांका 4 किलो केचुआ डाला गया। जिसमें 150-200 केचुआ थे, अगली चुनौती केचुआ का उत्पादन था। जिसके लिए कई प्रयोग किया गया। आज जिवरी गोठान में प्रति टंकी 2-3 लाख केचुआ उपलब्ध है। गौठान में अब तक कुल 402 क्विंटल खाद विक्रय किया जा चुका है। जिसमें से 01 लाख 47 हजार रूपए का मुनाफा महिला समूह को हुआ। इसके अतिरिक्त महिलाओं द्वारा 70 हजार रुपये का केचुआ भी अभी तक विक्रय किया जा चुका है।

महिलाओं ने आय मूलक कार्य भी किया शुरू– महिलाओं द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विक्रय से लाभ अर्जित करने के साथ ही अतिरिक्त आय एवं रोजगार के लिए अन्य गतिविधियां भी तैयार की जा रही है। जिसमें मुख्य रूप से मशरूम उत्पादन, कटिंग, बडिंग एवं ग्राफटिंग से उन्नत पौधे तैयार करना शामिल है। इसके अलावा टमाटर प्रोसेसिंग, रेशम के धागे तथा टोकरी बनाना शामिल है।

किसानों को जैविक खाद के उपयोग के लिए भी कर रही प्रोत्साहित– गोठान में मुख्य रूप से वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जाता है। जिसे महिला समूह द्वारा किया जा रहा है, इससे महिलाएं स्वावलंबी बन रही है। आज महिलाएं गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के साथ ही ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता निभा रही है। समूह की महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के अलावा अपने घरों में भी जैविक सब्जियां उगा रही है। इसके साथ ही अन्य किसानों को वर्मी कम्पोस्ट के फायदे बताकर किसानों को जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480